



कार्यालय उपनिदेशक (निर्माण),
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ०प्र०,
सी-8, दीनदयालनगर, कांठ रोड, मुरादाबाद।

पत्रांक: नि०ख०मु०रा०/(ई-निविदा)/2026- 220

दिनांक: 08/5/2026

ई-निविदा सूचना

मण्डी परिषद निर्माण खण्ड मुरादाबाद क्षेत्रान्तर्गत अधोलिखित तालिका में अंकित कार्य हेतु वित्तीय रूप से सुदृढ एवं अनुभवी मण्डी परिषद में पंजीकृत निविदाएं 02.06.2026 को शाम 5.00 बजे तक ऑनलाइन आमन्त्रित की जाती हैं। ऑनलाइन निविदा वेबसाइट-<https://etender.up.nic.in> पर दिनांक 12.05.2026 से प्रातः दिनांक 02.06.2026 की शाम 5.00 तक डाउनलोड कर अपलोड की जा सकती है। निविदा की तकनीकी विड दिनांक 03.06.2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे एवं तकनीकी विड उपयुक्त पाये जाने के उपरान्त वित्तीय विड कार्यालय में खोली जायेगी। उक्त निर्धारित तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाने एवं अपरिहार्य कारण होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस में उक्त निर्धारित समय के अनुसार ही तकनीकी विड व वित्तीय विड खोली जायेगी। कार्य का विवरण निम्नानुसार है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	निर्माण कार्य की लागत (लाख में) जी.एस.टी. रहित	निविदा का मूल्य 18% G.S.T. सहित (रु०में)	धरोहर धनराशि (लाख रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि (माह में)	पंजीकृत श्रेणी
जनपद-बिजनौर						
1	मण्डी समिति धामपुर के क्षेत्रान्तर्गत सम्पर्क मार्ग अफजलगढ़ से सलावतनगर भोगीजोत होते हुए झाड़पुर तक मरम्मत कार्य। Tender ID-2026_RKUMP_1146869_1	35.41	6372.00	3.55	4 माह	'द'
2	मण्डी समिति धामपुर के क्षेत्रान्तर्गत सम्पर्क मार्ग कश्मीरी से जसमौरा तक मरम्मत कार्य।Tende ID-2026_RKUMP_1146871_1	15.84	2832.00	1.60	4 माह	'द'
3	मण्डी समिति हल्दौर के क्षेत्रान्तर्गत सम्पर्क मार्ग सुल्तानपुर से मिठन कुँवर प्रताप सिंह तक मरम्मत कार्य। Tender ID-2026_RKUMP_1146874_1	34.33	6136.00	3.45	4 माह	'द'
4	मण्डी समिति चोंदपुर के क्षेत्रान्तर्गत सम्पर्क मार्ग ग्राम दतियाना से माहू ग्राम तक मरम्मत कार्य। Tender ID-2026_RKUMP_1146879_1	30.67	5546.00	3.10	4 माह	'द'
5	मण्डी समिति चोंदपुर के क्षेत्रान्तर्गत सम्पर्क मार्ग पावटी कोटा से रूपपुर फतेहउल्लापुर से होकर स्टेशन तक मरम्मत कार्य। Tender ID-2026_RKUMP_1146881_1	23.86	4248.00	2.40	4 माह	'द'
6	मण्डी समिति नजीबाबाद के क्षेत्रान्तर्गत सम्पर्क मार्ग लपटापुर से फाजलपुर तवेला होते हुए नजीबाबाद से कोतवाली तक मरम्मत कार्य। Tender ID-2026_RKUMP_1146886_1	27.31	4838.00	2.75	4 माह	'द'
7	मण्डी समिति नजीबाबाद के क्षेत्रान्तर्गत सम्पर्क मार्ग भागूवाला से सबलगढ़ तक मरम्मत कार्य। Tender ID-2026_RKUMP_1146892_1	43.66	7788.00	4.20	4 माह	'स'
8	मण्डी समिति नजीबाबाद के क्षेत्रान्तर्गत सम्पर्क मार्ग भोनावाला से सिकन्दरपुर बसी तक मरम्मत कार्य। Tender ID-2026_RKUMP_1146896_1	17.73	3186.00	1.80	4 माह	'द'
जनपद-रामपुर						
9	मण्डी समिति बिलासपुर के क्षेत्रान्तर्गत सम्पर्क मार्ग अलीपुर ठेका से हाफिलनगर हजारा तक मरम्मत कार्य। Tender ID-2026_RKUMP_1146898_1	28.99	5192.00	2.90	4 माह	'द'
10	मण्डी समिति बिलासपुर के क्षेत्रान्तर्गत सम्पर्क मार्ग पफाजलपुर से कोटा जागीर तक मरम्मत कार्य। Tender ID-2026_RKUMP_1146901_1	11.33	2006.00	1.15	4 माह	'द'
11	मण्डी समिति बिलासपुर के क्षेत्रान्तर्गत सम्पर्क मार्ग दनकरी मुड़िया रोड से सुजानपुर तक मरम्मत कार्य। Tender ID-2026_RKUMP_1146908_1	13.58	2478.00	1.40	4 माह	'द'
12	मण्डी समिति बिलासपुर के क्षेत्रान्तर्गत सम्पर्क मार्ग बुद्धबाजार से नूरपुर मझरा तक मरम्मत कार्य। Tender ID-2026_RKUMP_1146917_1	22.69	4130.00	2.30	4 माह	'द'
13	मण्डी समिति रामपुर के क्षेत्रान्तर्गत सम्पर्क मार्ग सरावा से सरकड़ी होते हुए मरघटी तक मरम्मत कार्य। Tender ID- 2026_RKUMP_1146924_1	33.55	6018.00	3.40	4 माह	'द'

क्रमशः.....2 पर

14	मण्डी समिति टाण्डा के क्षेत्रान्तर्गत सम्पर्क मार्ग खोद टाण्डा रोड से अम्बेडकर ग्राम सेन्टाखेड़ा तक मरम्मत कार्य। Tender ID-2026_RKUMP_1146936_1	25.90	4602.00	2.60	4 माह	'द'
15	मण्डी समिति टाण्डा के क्षेत्रान्तर्गत सम्पर्क मार्ग रामपुर टाण्डा मार्ग से तार का मजरा का मरम्मत कार्य। Tender ID-2026_RKUMP_1146933_1	33.60	6018.00	3.40	4 माह	'द'
जनपद-सम्भल						
16	मण्डी समिति बहजोई के क्षेत्रान्तर्गत सम्पर्क मार्ग ग्राम शेरपुर से चपतियों की मढ़ैया होते हुए ईदगाह से घुघावली की मस्जिद तक मरम्मत कार्य। Tender ID-2026_RKUMP_1146938_1	47.40	8496.00	4.40	4 माह	'स'
17	मण्डी समिति बहजोई के क्षेत्रान्तर्गत सम्पर्क मार्ग करीमपुर के घेरों से पृथ्वीपुर तक मरम्मत कार्य। Tender ID-2026_RKUMP_1146942_1	47.28	8378.00	4.40	4 माह	'स'
18	मण्डी समिति सम्भल के क्षेत्रान्तर्गत सम्पर्क मार्ग सम्भल जोया रोड पर ग्राम पत्था से खानपुर होते हुए खानपुर नीमखेड़ा तक मरम्मत कार्य। Tender ID-2026_RKUMP_1146945_1	74.54	13216.00	5.75	4 माह	'स'
19	मण्डी समिति सम्भल के क्षेत्रान्तर्गत सम्पर्क मार्ग सम्भल हसनपुर मार्ग से मूढों वाली मिलक तक मरम्मत कार्य। Tender ID-2026_RKUMP_1146948_1	45.94	8142.00	4.30	4 माह	'स'
20	मण्डी समिति सम्भल के क्षेत्रान्तर्गत सम्पर्क मार्ग सिंहपुर कुरकावली से राया तक मरम्मत कार्य। Tender ID-2026_RKUMP_1146952_1	38.76	6962.00	3.90	4 माह	'द'
21	मण्डी समिति सम्भल के क्षेत्रान्तर्गत सम्पर्क मार्ग ग्राम चमरोआ से झण्डा तक मरम्मत कार्य। Tender ID-2026_RKUMP_1146953_1	44.53	7906.00	4.25	4 माह	'स'
22	मण्डी समिति सम्भल के क्षेत्रान्तर्गत सम्पर्क मार्ग मढ़ावली से रसूलपुर तक मरम्मत कार्य। Tender ID-2026_RKUMP_1146954_1	25.60	4602.00	2.60	4 माह	'द'
23	मण्डी समिति सम्भल के क्षेत्रान्तर्गत सम्पर्क मार्ग रायपुर से बसला तक मरम्मत कार्य। Tender ID-2026_RKUMP_1146957_1	47.02	8378.00	4.40	4 माह	'स'
24	मण्डी समिति सम्भल के क्षेत्रान्तर्गत सम्पर्क मार्ग सिंहपुर भदौरिया मार्ग से बड़ा ताजुददीनपुर तक मरम्मत कार्य। Tender ID-2026_RKUMP_1146959_1	33.14	5900.00	3.35	4 माह	'द'
25	मण्डी समिति सम्भल के क्षेत्रान्तर्गत सम्पर्क मार्ग भूड़ा बेगम से राया बुजुर्ग तक मरम्मत कार्य। Tender ID-2026_RKUMP_1146961_1	23.84	4248.00	2.40	4 माह	'द'
26	मण्डी समिति बबराला के क्षेत्रान्तर्गत सम्पर्क मार्ग गवों अनूपशहर मार्ग से हैमदपुर तक मरम्मत कार्य। Tender ID-2026_RKUMP_1146962_1	13.97	2478.00	1.40	4 माह	'द'
27	मण्डी समिति बबराला के क्षेत्रान्तर्गत सम्पर्क मार्ग ग्राम धनारी से दिनौरा मार्ग से कालान से शुरपुर तक मरम्मत कार्य। Tender ID-2026_RKUMP_1146966_1	36.98	6608.00	3.70	4 माह	'द'

- नोट:-
- (1) ई-निविदा के साथ नान रिफंडेबिल निविदा मूल्य ऑनलाइन भारतीय स्टेट बैंक (IFSC Code SBIN0004215) के खाता सं० 30394551295 में जमा कराकर जमा रसीद ई-निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
 - (2) धरोहर धनराशि की धनराशि ऑनलाइन भारतीय स्टेट बैंक (IFSC Code SBIN0004215) के खाता सं० 30394551477 में जमा कराकर जमा रसीद ई-निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
 - (3) ई-निविदा स्वीकृति/अस्वीकृति करने का पूर्ण अधिकार उप निदेशक (निर्माण) मण्डी परिषद, मुरादाबाद को होगा।
 - (4) मण्डी परिषद मुख्यालय के आदेश पत्रांक: मु०अभि०ग्रेड-2/(1168)/2022-641, दिनांक 11.08.2022 में उल्लिखित व्यवस्था एवं शर्तों के अधीन "अ" एवं "ब" श्रेणी की निविदाओं में मण्डी परिषद के अतिरिक्त समान श्रेणी में (लो०नि०वि०, आर०ई०डी०, यू०पी०आर०एन०एन०, यू०पी०पी०सी०एल०) में भवन कार्य हेतु भवन का एवं मार्ग विकास कार्यों के लिए मार्ग विकास कार्यों हेतु पंजीकृत फर्म/ठेकेदार ही निर्धारित नियमों के अनुरूप प्रतिभाग कर सकेंगे।
 - (5) परिषद पत्रांक: मु०अभि०-2/(1168/भाग-4/2005)/2022-1190 दिनांक 17.11.2022 द्वारा निविदाओं की पारदर्शिता बनी रहे तथा और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त हो सकें, मण्डी परिषद में 'अ', 'ब', 'स' श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार Standard Bidding Documents (S.B.D) में Qualification of Bidders के Section 4.6 में दी गई व्यवस्था के अनुसार निविदाओं में प्रतिभाग कर सकेंगे।
क्रमशः.....3 पर

- निविदा के साथ जिलाधिकारी महोदय से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र टी0-4, हैसियत प्रमाण पत्र-टी0-5 की छायाप्रति स्वप्रमाणित तथा 40.00 लाख से कम टी-1 एवं 40.00 लाख से अधिक टी-2 के **Section -3** को 100/- के स्टाम्प पर नोटरी कराकर व टी0-6 नोटरी द्वारा प्रमाणित कराकर मूलरूप निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- (7) गण्डी परिषद में पंजीकृत (अ) श्रेणी के ठेकेदार समस्त श्रेणी एवं (ब) श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार 'ब', 'स' एवं 'द' श्रेणी तथा 'स' श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार जोन में 'स' एवं 'द' श्रेणी तथा 'द' श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार मात्र 'द' श्रेणी की निविदाओं में प्रतिभाग कर सकेंगे।
- (8) ठेकेदार को निविदा के साथ रू0 10.00 के स्टाम्प पेपर पर पंजीकरण के विरुद्ध वर्तमान में निर्माणाधीन अवशेष कार्यों की लागत का विवरण संलग्न करना होगा।
- (9) निविदा के साथ रू0100.00 का स्टाम्प पेपर रू01.00 रसीदी टिकट लगाकर हस्ताक्षर सहित निविदा की वैधता 90 दिन लिखकर अवलोड करना अनिवार्य होगा।
- (10) अनुबन्ध में निर्धारित कार्य समाप्ति की तिथि तक कार्य पूर्ण करना होगा, यदि निर्धारित कार्य समाप्ति की तिथि तक कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो 40.00 लाख से कम के कार्यों में टी-1 एवं 40.00 लाख से अधिक के कार्यों में टी-2 के अनुसार अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।
- (11) एस ठेकेदार/फर्म जिनके विरुद्ध Debar की कार्यवाही चल रही हो, ऐसी दशा में निविदा में प्रतिभाग नहीं कर सकेंगे।
- (12) क्रमांक 11 पर वर्णित शर्त के सम्बन्ध में 10 रू0 के स्टाम्प पर शपथ-पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- (13) मुख्य नियम व शर्तें एवं सामान्य नियम व शर्तें कार्यालय अवधि में तथा वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर एवं उक्त निर्धारित अवधि में कार्यालय/ऑनलाइन देखी/डाउनलोड की जा सकती है।
- (14) आमन्त्रित निविदा में टी-1 एवं टी-2 के अनुसार कार्य के समान प्रकृति का अनुभव ही मान्य होगा जो विगत 05 वर्ष के अन्दर का ही हो।

20/05/2026
सुपनिदेशक (निर्माण)

मुख्य शर्त :- प्रकाशन हेतु नहीं

- (1) निविदा की वैधता 90 दिन होगी। वैधता की अवधि में निविदा को वापस नहीं किया जा सकेगा।
- (2) इच्छुक निविदादाता अधिक जानकारी कार्यालय उप निदेशक (निर्माण), मण्डी परिषद, मुरादाबाद में किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र वेबसाइट-<https://etender.up.nic.in> पर दिनांक 12.05.2026 को प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 02.06.2026 की शाम 5.00 तक डाउनलोड कर अपलोड किये जा सकते हैं।
- (3) ई-निविदा के साथ नान रिफंडेबिल निविदा मूल्य उप निदेशक (निर्माण) मण्डी परिषद, मुरादाबाद के नाम ऑनलाइन भारतीय स्टेट बैंक (IFSC Code SBIN0004215) के खाता सं० 30394551295 में आर०टी०जी०एस० से जमा कराकर जमा रसीद ई-निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- (4) निविदा सूचना विवरणानुसार धरोहर धनराशि उप निदेशक (निर्माण) मण्डी परिषद, मुरादाबाद के नाम ऑनलाइन भारतीय स्टेट बैंक (IFSC Code SBIN0004215) के खाता सं० 30394551477 में जमा कराकर जमा रसीद ई-निविदा के साथ डाउनलोड करना अनिवार्य होगा।
- (5) निविदा डालने हेतु निविदादाता को उपरोक्त वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। निविदा डालने हेतु निविदादाता के पास किसी सॉफ्टवेयर प्राधिकरण द्वारा जारी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इसके न होने पर निविदा डालना सम्भव नहीं होगा।
- (6) वस्तु एवं सेवाकर (जी०एस०टी०) की कटौती ठेकेदारों के देयकों से नियमानुसार की जायेगी।
- (7) लेबर सेस की कटौती ठेकेदारों के देयकों से नियमानुसार की जायेगी।
- (8) ई-टेंडरिंग के माध्यम से ऑनलाइन निविदा वेबसाइट-<https://etender.up.nic.in> पर सबमिट करने की अंतिम तिथि 02.06.2026 की सायं 05.00 बजे तक तकनीकी बिड दिनांक 03.06.2026 को प्रातः 11.00 बजे एवं तकनीकी बिड उपयुक्त पाये जाने के उपरान्त वित्तीय बिड अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में खोली जायेगी।
- (9) फाइनेशियल बिड खुलने के बाद सभी निविदादाताओं को वेबसाइट पर अपलोड किये शपथ-पत्र इत्यादि मूलरूप में कार्यालय में तत्काल जमा किया जाना अनिवार्य है।
- (10) आई०टी०वी० के अनुसार कोई भी निविदादाता जिनका सम्बन्धी अथवा उनकी पत्नी का कोई निकट सम्बन्धी (प्रथम रक्त सम्बन्धी अथवा उनकी पत्नी) खण्डी लेखाधिकारी के रूप में कार्यरत हो अथवा संयुक्त निदेशक (निर्माण) स्तर से अवर अभियंता स्तर तक (दोनों को सम्मिलित करते हुए) कार्यदायी खण्ड में कार्यरत होगा, वह निविदा डालने के लिये योग्य नहीं होगा। निविदादाता द्वारा यह शपथ-पत्र भी दिया जायेगा, जिसमें उसके सम्बन्धियों के नाम तथा उनके पदनाम का उल्लेख होगा, जो कि कार्यदायी खण्ड एवं उससे संबंधित जोन में कार्यरत हो।
- (11) आई०टी०वी० के अनुसार कोई अभियंता अथवा राजपत्रित अधिकारी जो कि राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के प्रशासनिक विभाग में कार्यरत हो सेवानिवृत्ति की अवधि दो वर्ष के बाद तक बिना सरकारी के अनुमति के ठेकेदारी के काम के लिये प्रतिबन्धित होंगे। ऐसी स्थिति में यदि यह पाया जाता है कि ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि/कर्मचारी ने निविदा डालने से पहले राज्य सरकार से अनुमति नहीं ली है तो उसका ठेका निरस्त किया जा सकता है। निविदादाता द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- (12) निविदा से संबंधित विवरण निविदा डालने हेतु योग्यता एवं पात्रता ड्राईंग, विशिष्टियों, मात्राओं का विवरण एवं ठेके की अन्य शर्तों जिनका ठेकेदार द्वारा पालन किया जाना है, को संबंधित उप निदेशक (निर्माण) के कार्यालय में किसी कार्य दिवस में देखा जा सकता है।
- (13) ऐसे निविदादाता जिनका आपराधिक रिकार्ड है, वह टेंडर प्रक्रिया में भागीदारी नहीं कर सकेंगे।
- (14) कोई भी निविदादाता जो राज्य विधि काउन्सिल में पंजीकृत हो, निविदा में प्रतिभाग करने से प्रतिबन्धित होंगे। (निविदा डालने के योग्य नहीं होंगे) वह बार काउन्सिल का सदस्य नहीं है, ऐसे प्रमाण/शपथ-पत्र की प्रति अपलोड करना अनिवार्य है।
- (15) निविदा के साथ रु. 100 का स्टॉम्प पेपर रु० 1.00 का रसीदी टिकट लगाकर हस्ताक्षरयुक्त अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- (16) प्रत्येक निविदादाता को ई-निविदा के मूल्यांकन हेतु रु० 100.00 के नान ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र पर शपथ पत्र ऑनलाइन देना अनिवार्य है।
- (17) निविदा के साथ शासनादेश संख्या: 4435/छ-पु०-14-06-50(7)/2006 दिनांक: 02.11.2006 के अनुसार जिलाधिकारी महोदय से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र टी०-4, हैसियत प्रमाण पत्र-टी०-5 प्रमाण पत्र की छायाप्रति स्व-प्रमाणित, टी-1 एवं टी-2 Section-3 को 100/-के स्टाम्प पर नोटरी कराकर व टी०-6 नोटरी द्वारा प्रमाणित कराकर मूलरूप तथा टी-1 एवं टी-2 स्वप्रमाणित अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- (18) कार्यों की मात्रा में आवश्यकतानुसार विचलन करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा। जिसके लिये निविदादाता बाध्य होगा।
- (19) विस्तृत विवरण तथा अन्य नियम व शर्तें कार्यालय एवं बिडिंग डाक्यूमेंट में देखी जा सकती है निविदा हेतु सिस्टम तकनीकी समस्या होने अथवा किसी प्रकार के विलम्ब के लिए मण्डी परिषद उत्तरदायी नहीं होगा।
- (20) मार्गों में आवश्यकतानुसार प्रस्तावित पुलिया के निर्माण हेतु स्थान चिन्हित किया जायेगा तथा स्टोन बैलास्ट की बिछाई से पूर्व ही पुलिया वग निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाये। हयूम पाइप से निर्मित पुलिया में कम से कम 60 सेमी० मिटटी कुशन अवश्य रखा जाये। यदि कुशन कम आता है तो कैंचपिट बनाकर 60 सेमी० ही रखा जाय जिससे हयूम पाइप टूटने की सम्भावना न रहे।
- (21) प्रस्तावित मार्ग में कैम्बर 2 प्रतिशत से 2.50 प्रतिशत के मध्य रखा जाये तथा मार्ग के दोनों ओर मिटटी से निर्मित साइड पटरी में 1:2 का स्लोप दिया जाये।
- (22) ठेकेदार निविदा डालने से पूर्व कार्य स्थल का निरीक्षण कर लें।
- (23) विभाग किसी भी निविदा को कोई कारण बताये बिना अस्वीकृत/निरस्त कर सकता है।
- (24) ठेकेदार को भुगतान से पूर्व एम०एम०-11 मूलरूप में प्रस्तुत करना होगा अन्यथा रायल्टी के अतिरिक्त श०स० 3385/86-2015-292/2015 दिनांक 15.10.2015 एवं प्रमुख अभियंता उ०प्र० लोक०नि०वि० (भवन विग) लखनऊ के पत्रांक 1849/5 श०स० विग/2015 दिनांक 18.11.2015 के अनुसार रायल्टी का पॉच गुना ठेकेदार के देयक से वसूल कर लिया जायेगा।

- (25) पंजीकरण में दर्शाये गये तकनीकी स्टाफ आदि से सम्बन्धित सूचनाएं व अभिलेख के लिए लो0नि0वि0 के आदेश पत्रांक-113 कॅम्/प्र0अ0 विकास/03(मु0-1)/23 द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- (26) शासनदेश संख्या 746/36-2-14 दिनांक 07.06.2014 के कार्य के चालू देयको से भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 की धारा-3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत एक प्रतिशत उपकर सेस की कटौती की जायेगी तथा सम्बन्धित ठेकेदार का अनुबन्ध गठन के 15 दिवसों के अन्दर श्रम विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
- (27) निविदा स्वीकृति उपरान्त एक सप्ताह (7 दिवस में) अवशेष धरोहर धनराशि की एफ0डी0आर0 प्रस्तुत कर, अनुबन्ध गठन कराना अनिवार्य होगा।
- (28) W.B.M. सतह के ऊपर पी0सी0 का कार्य मेकेनिकल पेवर/हाटमिक्स प्लान्ट से कराया जाना अति आवश्यक है।
- (29) शासनादेश संख्या 17/2024/सा0-113/23-1- 2024-23-1099/113/2023 दिनांक 16 जनवरी 2024 लोक निर्माण अनुभाग-1, लखनऊ के क्रम में मा0 संचालन मण्डल की 170 वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार मार्गों के नवनिर्माण कार्य हेतु निविदादाता फर्म/ठेकेदार हेतु कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि से 05 वर्ष (पाँच वर्ष) तक अनुरक्षण समय अवधि (Defect Liability Period) रहेगी। कार्य पूर्ण होने के एक वर्ष तक कोई अनुरक्षण के मद में कोई भुगतान नहीं किया जायेगा। शेष चार वर्षों में नियमानुसार निर्धारित सीमा के अन्तर्गत अनुरक्षण चार्ज का भुगतान किया जायेगा। पी0एम0जी0एस0वाई योजना के अनुसार 10 प्रतिशत जमानत धनराशि में से 2.50 प्रतिशत धनराशि कार्य पूर्ण होने के 45 दिनों बाद, द्वितीय वर्ष पूर्ण होने पर 1.25 प्रतिशत, तृतीय वर्ष पूर्ण होने पर 1.25 प्रतिशत एवं शेष 05 प्रतिशत 05 वर्ष पूर्ण होने पर समय-समय पर क्षतिग्रस्त भाग की गुणवत्ता पूर्ण तरीके से मरम्मत कराये जाने पर व कार्य संतोषजनक स्थिति में होने पर ही जमानत धनराशि चरणबद्ध तरीके से अवमुक्त की जायेगी साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि यदि गुणवत्ता में कोई कमी पायी जाती है तो अनुबन्ध की शर्तों एवं पंजीकरण नियमावली के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी एवं कोई अनुरक्षण चार्ज का भुगतान नहीं किया जायेगा। शासन/मण्डली परिषद लखनऊ द्वारा अनुरक्षण/डिफेक्ट लायबिलिटी से सम्बन्धित कोई परिवर्तन किया जाता है तो उस सीमा तक आदेश मान्य होगा।
- (30) अनुरक्षण की अवधि कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि से प्रारम्भ हो जायेगी तथा उसके आगामी 5 वर्ष तक रहेगी, दोष निवारण की अवधि 5 वर्ष की होगी किन्तु पाँचवें वर्ष की समाप्ति पर यदि मार्ग की दशा संतोषजनक नहीं है तो दोष निवारण अवधि आगे जारी रहेगी जब तक कि दोष निवारण अवधि पूर्णता प्रमाण पत्र (DLP complete Certificate) प्राप्त नहीं कर लिया जाता। बड़ी हुई अवधि के लिए ठेकेदार को कोई अतिरिक्त भुगतान अनुमन्य नहीं होगा। अतः धरोहर धनराशि पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत होने के उपरान्त ही देय होगी।
- (31) प्रथम वर्ष में यद्यपि कोई भुगतान नहीं किया जाना है किन्तु मार्ग दोष निवारण अवधि के अन्तर्गत होने के कारण ठेकेदार मार्ग को पूर्णरूपेण सही दशा में रखेगा।
- (32) कार्य में विलम्ब हेतु कोई औचित्यपूर्ण कारण न होने की स्थिति में टी-1 एवं टी-2 के अनुसार अर्थदण्ड अरोपित किये जायेगा।
- (33) दिटुमिन (IOCL/BPCL/HPCL) Refinery से ठेकेदार द्वारा स्वयं क्रय कर प्रयोग करना होगा तथा बिल की मूल प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (34) सीमेन्ट (ओ0पी0सी0 43-ग्रेड) एवं सरिया भारतीय मानक संस्थान से प्रमाणित परफार्मेन्स (Fe-500) नियमानुसार बहु विख्यात कम्पनियों का ही प्रयोग किया जायेगा।
- (35) प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 महोदय के आदेश दिनांक 9 अगस्त 2024 के अनुपालन के क्रम में 10 प्रतिशत Below निविदाओं में कोई परफार्मेन्स सिक्वोरिटी नहीं ली जायेगी तथा 10 प्रतिशत से अधिक Below निविदाओं में 1 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त परफार्मेन्स सिक्वोरिटी ली जायेगी।
- (36) नेशनल ग्रीन ट्रिव्यूनल (एन0जी0टी0) के निर्देश के अनुरूप पोल्यूशन कन्ट्रोल के समस्त मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- (37) बिड कैपेसिटी में दर्शाये गये अवशेष कार्यों के सम्बन्ध में अवशेष कार्यों की लागत सहित सूची संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (38) परिषद पत्रांक: मु.अभि0-2/(1168/भाग-4/2005) /2022-1190 दिनांक 17.11.2022 द्वारा निविदाओंकी पारदर्शिता बनी रहे तथा और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त हो सकें हेतु अन्य विभाग समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को Standard Bidding Document (S.B.D.) में Qualification of Bidders के Section 4.6 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार बिड कैपेसिटी की गणना संलग्न कराना अनिवार्य होगा, ('द' श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार के लिए मान्य नहीं) जो निम्न प्रकार है:-
- (F) Bid Capacity-The bidder should have the assessed available Bid capacity as per formula (ANM-B) should be greater than Estimated Value of the Work.
- A= Maximum Value of Civil Engineering works executed in any one year during the last five years (updated to current Financial Year price level@8% a year) taking into account the completed as well as works in progress.
- N= Number of years prescribed for completion of the works for which tenders are invited.

(M = 0.50 if time of completion of work is less then 6 months)

(=01 if time of completion is greater then 6 months and less then equal 12 months)

B= Value of existing commitments and on going works to be completed during the period of completion of the project for which tenders are invited.

नोट :- If the bidder participates in more then one bid, the bid capacity for the second bid shall be calculated by deducting the work cost of first bid.

For 08/5/26
उप निदेशक (निर्माण)
मण्डी परिषद, मुरादाबाद

प्रकाशन के लिए नहीं

पृष्ठांकन सं०:

/ तददिनांक:

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्पादक/ व्यवस्थापक, दैनिक विधान केसरी मुरादाबाद, दैनिक जागरण, मुरादाबाद एवं दैनिक युगबन्धु मुरादाबाद को इस आशय से कि उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन सरकारी दरों पर अपने समाचार पत्र में कम से कम (फोन्ट-9) स्थान एवं छोटे से छोटे अक्षरों में (एक दिन के लिए) प्रकाशित कराकर समाचार पत्रों की पाँच प्रतियाँ दरों को जिला सूचना अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुए बिल इस कार्यालय को प्रेषित करें।
2. आयुक्त महोदय, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
3. जिलाधिकारी महोदय, रामपुर, बिजनौर एवं सम्भल।
4. मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी, रामपुर, बिजनौर एवं सम्भल।
5. मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद, उ०प्र०, लखनऊ। (मैसेज बाक्स)
6. संयुक्त निदेशक(निर्माण) जोन-2, मण्डी परिषद, नवीन मण्डी स्थल, पीलीभीत रोड, बरेली। (मैसेज बाक्स)
7. उपनिदेशक(प्र०/वि०)/सं०लेखाधिकारी, मण्डी परिषद, मुरादाबाद।
8. सचिव/सभापति, सम्बन्धित मण्डी समिति./ (मैसेज बाक्स)
9. समस्त उपनिदेशक(निर्माण), मण्डी परिषद, उ०प्र०। (मैसेज बाक्स)
10. समस्त पंजीकृत ठेकेदार मण्डी परिषद, मुरादाबाद।
11. संगणक/सम्बन्धित अवर अभियन्ता, मण्डी परिषद, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ कि निर्धारित तिथि तक निविदा अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
12. सूचना पट पर चरमा करने हेतु।

For 08/5/2026
उपनिदेशक(निर्माण)
मण्डी परिषद, मुरादाबाद